पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 14 वांछित अभियुक्त व 01 वांछित अभियुक्ता एवं NBW में 4 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक- 22.09.2024

दिनांक- 21/22.09.2024 को-

01-थाना महानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 222/2024 धारा- 109/126(2)/309(5)/3(5) BNS 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्त 01-नवल किशोर यादव 02-सर्वेश यादव 03-विमल कुमार

02-थाना गोमतीनगर विस्तार में पंजीकृत मोटरसाइकिल चोरी के कुल 06 विभिन्न मुकदमों में वांछित 04 अभियुक्त 01-मोनू मौर्या उर्फ पवन कुमार मौर्या 02-उत्तम यादव 03-शैलेन्द्र मौर्या 04- शिवम विश्वकर्मा

03-थाना कैण्ट में पंजीकृत मु0अ0सं0- 102/24 धारा- 304/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त रामाशंकर प्रताप यादव उर्फ मोनू

04-थाना मडियावं में पंजीकृत मु0अ0सं0-429/2024 धारा 331(4)/305/3(5)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 01-रियाज 02-इस्लाम

05-थाना गोसाईगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 345/24 धारा- 419/420/467/468/471/406 /504/506 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त बलवीर सिंह

06-सुशान्त गोल्फ सिटी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 429/2024 धारा- 318(4)/318(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्ता निमेश वैश्य उर्फ निम्मी वैश्य

07-थाना हुसैनगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-85/2024 धारा- 69/351(3) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त नूर आलम सिद्दीकी

08-थाना कृष्णानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 420/2024 धारा- 64/74/115(2)/351(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल गुप्ता

09-थाना निगोहां में पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2024 धारा 69 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त जय करन मौर्या गिरफ्तार।

एवं

01-थाना चौक में NBW वाद सं0 183/18 मु0अ0सं0 349/17 धारा 379/411/413/414 IPC से संबंधित वारण्टी अभियुक्त नावेद अली उर्फ गुल्लू

02-थाना अलीगंज में NBW वाद सं0 712/2020 धारा 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी सुमन देवी

03-थाना माल में NBW वाद सं0 883/2024 धारा 151/107/116 सीआरपीसी से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त नितिन कुमार

04-थाना इंटौजा में NBW एनबीडब्लू वाद सं0 1826/20 मु0अ0सं0 306/18 धारा 138 (1) B भा0वि0अधि0 से सम्बन्धित वारण्टी शद्युम्न सिंह राठोर गिरफ्तार।

<u>जोन-पश्चिमी</u>

<u>दुर्घटना-थाना माल</u>

दिनांक 21.09.2024 को श्री मो0 मुशीर पुत्र निवासी- ग्राम भट्टा नवीपनाह, माल ने थाना माल पर लिखित सूचना दिया कि उनका पुत्र मो0 निहाल उम्र करीब 14 वर्ष घर पर झूला झूल रहा था, झूला झूलते समय अचानक गले में फन्दा पड़ गया, उस समय घर पर कोई भी मौजूद नही था। घर वालों द्वारा देखे जाने पर निहाल को उतार कर उपचार हेतु सी0एच0सी0 माल ले जाया गया जहाँ डाक्टरो ने निहाल को मृत घोषित कर दिया।यह घटना इत्तफाकिया दुर्घटनावश हो गयी है, इसमे किसी का कोई दोष नही है, तथ्य अंकित हैं। **इस सूचना पर रि0उ0नि0 श्री रजनीशकान्त भारती थाना माल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>जोन उत्तरी</u>

<u>ट्रेन दुर्घटना- थाना अलीगंज-</u>

थाना स्थानीय पर दिनांक 21.09.2024 को आगन्तुक श्री संजय सिंह निवासी पुरनिया, थाना अलीगंज, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमे दिनांक 21.09.2024 को समय करीब 21.30 बजे रात्रि में मेरा भाई गोविन्द उर्फ बऊआ लोधी उम्र करीब 28 वर्ष निजी कार्य से रेलवे लाइन (पुरनिया पुल के नीचे) पार करके जा रहा था कि अचानक मोहिबुल्लापुर की तरफ से आ रही अज्ञात ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी है। **सूचना पर तत्काल उप निरीक्षक सदरूद्दीन खां थाना अलीगंज द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना मड़ियावं-</u>

जनपद बाराबंकी से आ रही महिला का आटो में छूटा पर्स बरामद कर महिला को किया गया सुपुर्द।

दिनांक 22.09.2024 को एक महिला जो कि थाना मड़ियाव जनपद लखनऊ की रहने वाली हैं अपने मायके थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी से अपने घर मड़ियाव लखनऊ आ रही थी, जो थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी से लखनऊ आने हेतु एक टैम्पो में बैठी थी। जिनका पर्स, जिसमें 5,500/-रुपये नगद, घर की चाभी, मोबाइल फोन व कुछ ज्वैलरी जो कि टैम्पो में छूट गया, जिनके द्वारा अपने पर्स के गुम होने की सूचना थाना मडियाव पर दी गयी। **थाना मड़ियावं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल महिला की सूचना पर टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड पर पहुंच कर अथक प्रयास से उक्त टैम्पो को तलाश कर टैम्पो में से महिला उपरोक्त का पर्स सकुशल बरामद कर सुपुर्द किया गया।** खोया हुआ पर्स पाकर महिला द्वारा थाना मड़ियाव पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

<u>जोन दक्षिणी</u>

<u>थाना बिजनौरः-</u>

आज दिनांक 22.09.2024 को वादिनी/पीड़िता ने थाना बिजनौर पर लिखित सूचना दिया जिसमें दिनांक 21-09-2024 को रात करीब 9.00 बजे वह अपने घर पर थी तभी उसके पति गांव के रिंकू पाल s/o गया प्रसाद को साथ मे लेकर आये औऱ उसके पति व रिंकू ने बैठकर शराब पी, उसके बाद जब शराब खत्म हो गयी तो रिंकू ने मेरे पति को शराब लाने के लिए बाहर भेज दिया व मुझे अकेला देख नशे में छेड़खानी करते हुए पैसे व जमीन देकर शारिरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा, वादिनी के विरोध करने पर जातिसूचक गाली देते हुए जोर जबरदस्ती करने लगा, जब वादिनी ने शोर मचाया तो मौके से भाग गया, तथ्य अंकित है। **प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 265/2024 धारा 75/352 बीएनएस व धारा 3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी का अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त रिंकू पाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।**